प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.04.2025

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सैल टैक्स के कार्यालय के परिसर में जांच हेतु खड़े वाहन से ए0सी0 चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 05 स्पिलिट ए0सी0 (ओ-जनरल कम्पनी) बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 18.04.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादी विनीत कुमार सहायक आयुक्त, राज्य कर सचल दल प्रथम इकाई गाजियाबाद द्वारा वाहन सं0 DL1LAJ3789 राज्य कर भवन मोहननगर कैम्पस में खडे वाहन से 10 स्पिलिट ए0सी0 ओ-जनरल कम्पनी के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना अभियुक्तगण 1. उमेश शाक्य पुत्र स्व0 मुन्नालाल निवासी- एफ 27 गली नं0 04 खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष, 2. मौहम्मद बुरहान पुत्र फैजुल हसन निवासी- ग्राम अहमदनगर थाना सैदपुर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 26 वर्ष हाल निवासी- गली नं0 17 मुश्तफाबाद दिल्ली, 3. संदीप सिंह पुत्र हरिओम सिंह निवासी- ग्राम गोरना रसीदपुर थाना गभाना जनपद अलीगढ उम्र करीब 24 वर्ष को हज हाउस के पीछे दीवार के पास खाली जगह से गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 05 स्पिलिट ए0सी0 ओ-जनरल कम्पनी के बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से बारी-बारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उमेश शाक्य ने गाडी संख्या- DL1LAJ3789 लोड़र को दिनांक 11.04.2025 को जीएसटी/ राज्य कर की मोहननगर इकाई वाले अधिकारियो ने 10 स्पिलिट ए0सी0 ओ-जनरल कम्पनी के लदे होने पर तथा उनका सही बिल टैक्स वाला न होने पर पकडकर उक्त माल को गाडी सहित अपने कार्यालय परिसर में सीज कर खडा करा दिया था जिसकी चाबी सैल टैक्स वालों ने अभियुक्त उमेश शाक्य को दी थी । अभियुक्त के मन में लालच आ गया और अपने ड्राइवर मो0 बुरहान के साथ तथा उस कार्यालय के पास हाईड्रा पर काम करने वाले संदीप सिंह व आकाश आसवानी के साथ मिलकर दिनांक 13/14.04.2025 की रात्रि में उक्त गाडी से ए0सी को चोरी कर लिया था, चोरी करने के बाद माल को अभियुक्तगणों ने सैलटैक्स कार्यालय के परिसर के पिछले हिस्से में जो तार बन्दी टूटी हुई है, वहां से निकालकर चोरी किये गये 10 स्पलिट ए0सी0 (ओ-जनरल कम्पनी) को अभियुक्त संदीप के हाइड्रा खडे रहने वाली जगह पर तिरपाल के अन्दर रख दिया था तथा ड्राइवर मौहम्मद बुरहान के मोबाइल से ऑनलाइन एप पोर्टर से एक गाडी रजि0 नं0 DL01LAE3978 को बुक करके चोरी किये गये 10 स्पिलिट ए0सी0 में से 05 ए0सी0 को दिल्ली में बेच दिया थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पताः-

1.उमेश शाक्य पुत्र स्व0 मुन्नालाल निवासी- एफ 27 गली नं0 04 खजूरी खास दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष ।

2. मो0 बुरहान पुत्र फैजुल हसन निवासी- ग्राम अहमदनगर थाना सैदपुर जनपद बुलन्दशहर, हाल निवासी- गली नं0 17 मुश्तफाबाद दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष ।

3. संदीप सिंह पुत्र हरिओम सिंह निवासी- ग्राम गोरना रसीदपुर थाना गभाना जनपद अलीगढ उम्र करीब 24 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरणः-

05 स्पिलिट ए0सी0 (ओ-जनरल कम्पनी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खायी-बाडी करने वाले 05 अभियुक्त को सट्टा पर्ची, 4190 रुपये , मोबाइल फोन आदि सहित गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 20.04.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सट्टे की खायी-बाडी करने वाले 05 अभियुक्त (1) अनिल पुत्र प्रेम सिंह (2) राहुल गुप्ता पुत्र राजकुमार (3) मनोज कुमार पुत्र रामजी लाल (4) ओमकार पाल पुत्र मूलचंद (5) किशोर पुत्र शीशराम को कमला हॉल रोड पर खाली पडे मैदान थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 4190 रुपये नकद, सट्टा पर्ची, रजिस्टर, मोबाइल फोन आदि सट्टा लगाने का सामान बरामद हुआ। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तो ने पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग चोरी छिपे सट्टे की खायी-बाडी का काम करते है, लोग हमारे पास लालच मे पड कर सट्टा लगाने के लिए आते है, जिससे हमे मुनाफा हो जाता है।

नाम, पता गिरफ्तार अभियुक्त-

(1) अनिल पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम बुढाना थाना जहाँगीराबाद जिला बुलन्दशहर हाल पता ग्राम बहलोलपुर सैक्टर 63 थाना सैक्टर 63 जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 44 वर्ष।

(2) राहुल गुप्ता पुत्र राजकुमार निवासी गली न0 01 बीस फूटा रोड सिद्वार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

(3) मनोज कुमार पुत्र रामजी लाल निवासी गली न0 06 बीस फूटा रोड सिद्वार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

(4) ओमकार पाल पुत्र मूलचंद निवासी म0न0 441 गली न0 03 बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

(5) किशोर पुत्र शीशराम निवासी खैरातीनगर नियर हरशरण दास इण्टर कालेज के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

4190 रुपये नकद, सट्टा पर्ची, रजिस्टर, मोबाइल फोन आदि

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सट्टे से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्ता कब्जे से छीनी गयी 02 जोडी पाजेब सफेद धातु व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद।

दिनांक 14.04.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.04.2025 को प्रातः 05.10 बजे वादी की पत्नी व पडोसन घर से टहलने के लिए निकली थी कि रास्ते में ईट भट्टा ग्राम रावली कला के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की पत्नी व पडोसन से कुंडल व पाजेब छीन लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा

304 (4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.04.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सचिन पुत्र मीतू नि0 गाव हैदर नगर थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड उम्र 22 वर्ष 2. सुनील पुत्र रणबीर नि0 गाव ककराना थाना धौलाना जिला हापुड उम्र 42 वर्ष को मिलक रावली रोड से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों के कब्जे से छीनी गयी दो जोडी पाजेब सफेद धातु व मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा (2)317बीएनएस की वृद्धि की गई तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के आधार पर धारा 317(5) बीएनएस के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों व हमारे एक अन्य साथी ने मिलकर दिनाक 14/04/2025 को सुबह के समय सड़क पर दो औरतो से कुन्डल व पाजेब छीन लिये थे। हम लोग सामान छीनकर मुरादनगर की ओर भाग गये थे जो कुण्डल व पाजेब हमने छिने थे उनमे कुण्डल हमारे अन्य साथी के पास है व पाजेब उसने हमे दे दी थी तथा यह मोटरसाईकिल हमने दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सचिन पुत्र मीतू नि0 गाव हैदर नगर थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड उम्र 22 वर्ष

2. सुनील पुत्र रणबीर नि0 गाव ककराना थाना धोलाना जिला हापुड उम्र 42 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सचिन व सुनील के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर छिनैती व चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त सुनील के विरुद्ध थाना जारचा गौतमबुद्धनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

02 जोडी पाजेब सफेद धातु व चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रू0 82,500/- धनराशि वापस कराई गई।

दिनांक 19.04.2025 को साइबर सेल थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक अखिलेश कुमार बघेल पुत्र श्री जयप्रकाश बघेल निवासी म0न0 152, केशव नगर लोनी, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि 82,500/-रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

<u>कार्यवाही का विवरण-</u>

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से अखिलेश पुत्र श्री जयप्रकाश बघेल निवासी म0न0 152 केशव नगर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के साथ 82,500/-रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना लोनी बॉर्डर, कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 19.04.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया । आवेदक द्वारा थाना लोनी बॉर्डर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।